अपीलीय दीवानी

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति मेहर सिंह और न्यायमूर्ति बीआर तुली, के समक्ष

लीला कृष्ण, आदि,-*अपीलकर्ता*

बनाम

भारत संघ, आदि, उत्तरदाता

1966 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 278

13 मई, 1970

विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और *पुनर्वास) अधिनियम (1954* का एक्सएलआईवी*) - धारा 19 (2)* - अनधिकृत कब्जेदार के कब्जे में विस्थापित संपत्ति की नीलामी - *नीलामी-क्रेता* - अनधिकृत कब्जेदार को प्रदान की गई उपाधि - *क्या नीलामी-खरीदार को कब्जा देने के लिए पुनर्वास अधिकारियों द्वारा बेदखल किया जा सकता है।*

अभिनिर्धारित किया गया है कि विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 19 की उप-धारा (2) की भाषा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह विस्थापित संपत्ति या किसी अन्य अचल संपत्ति से संबंधित है जो मुआवजा पूल का हिस्सा है। यदि संपत्ति खाली करने वाली संपत्ति नहीं रह गई है, या कब्जे के लिए कार्रवाई की तारीख को मुआवजा पूल का हिस्सा बन गई है, तो अधिनियम के तहत अधिकारियों के पास ऐसा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। संपत्ति खाली संपत्ति के रूप में समाप्त हो जाती है और जब इसे बेचा जाता है तो मुआवजा पूल से बाहर चला जाता है और बिक्री-प्रमाण पत्र जारी करके खरीदार को शीर्षक प्रदान किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वास प्राधिकारियों के पास उस संपत्ति के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार नहीं रह जाता है। वे संपत्ति के अनधिकृत कब्जेदार को बेदखल नहीं कर सकते हैं और नीलामी-खरीदार को कब्जा नहीं दे सकते हैं। नीलामी-क्रेता, संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने के बाद, उसका पूर्ण स्वामी बन जाता है और उसके संबंध में किसी भी अन्य मालिक की तरह स्वामित्व के सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। वह अनधिकृत कब्जेदार को बेदखल करने के लिए अपने कानूनी उपायों का पालन कर सकता है, लेकिन उसे इस बात पर जोर देने का कोई अधिकार नहीं है कि पुनर्वास अधिकारियों को उसे

संपत्ति का कब्जा केवल इसलिए देना चाहिए क्योंकि यह उनके द्वारा सार्वजनिक नीलामी में बेची गई थी। (पैरा 2)

माननीय *न् यायमूर्ति गुरदेव सिंह के सिविल रिट सं 2012 में पारित निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड X के अंतर्गत लेटर्स पेटेंट अपील। 23 मार्च,* 1966 को *1964* का 557।

एच.एस. वासु, वरिष्ठ अधिवक्ता बी.एस. वाशु अधिवक्ता के साथ, अपीलकर्ताओं के लिए

डी.एन. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता बी.एन. अग्रवाल, वकील के साथ, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के लिए।

निर्णय

तुली, न्यायमूर्ति.-1. अपीलकर्ताओं ने हिसार की नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित खसरा संख्या 2840 से 2848 में शहरी कृषि भूमि खरीदी, जिसे वर्ष 1958 में विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) के तहत पुनर्वास अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा गया था। यह जमीन तब बुध राम और चंदगी राम, प्रतिवादी 3 और 4 के अनधिकृत कब्जे में थी। 12 नवंबर, 1958 को सहायक बंदोबस्त आयुक्त ने हिसार के उपायुक्त को पत्र लिखकर अपीलकर्ताओं को भूमि का कब्जा देने की व्यवस्था करने के लिए कहा। इसके बाद प्रतिवादी 3 ने यह घोषणा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया कि वह किरायेदार के रूप में कब्जे में था और इस प्रकार बेदखली के लिए उत्तरदायी नहीं था और प्रतिवादियों को उसे भूमि से बेदखल करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की। यह मुकदमा 30 अक्टूबर, 1959 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने 1960 का सीडब्ल्यू 1490 इस अदालत में दायर किया, जिसे 19 सितंबर, 1960 *को आरंभ में* ही खारिज कर दिया गया । उत्तरदाताओं से पहले

पुनर्वास अधिकारियों ने 22 अगस्त, 1962 को अपीलकर्ताओं को बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया और 5 फरवरी, 1963 को निपटान अधिकारी ने तहसीलदार, हिसार को अपीलकर्ताओं को कब्जा देने का निर्देश दिया। प्रतिवादी 3 ने फिर से इस पर आपत्ति जताई और एक अपील दायर की जिसे 25 जुलाई, 1963 को निपटान आयुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया। उत्तरदाता 3 और 4 तब संशोधन में गए, जिसे 19 दिसंबर, 1963 को मुख्य निपटान आयुक्त की प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप मुख्य

निपटान आयुक्त द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस आदेश द्वारा, उप मुख्य निपटान आयुक्त ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी 3 और 4 के कब्जे के लिए कार्यवाही को छोड़ दिया जाना चाहिए। आदेश का आधार यह था कि 22 अगस्त, 1962 को अपीलकर्ताओं को बिक्री प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद, संपत्ति मुआवजा पूल से बाहर चली गई थी और इस प्रकार पुनर्वास अधिकारियों के पास उस संपत्ति से निपटने या उक्त प्रतिवादियों को बेदखल करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बचा था। अपीलकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 33 के तहत केंद्र सरकार का रुख किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अपीलकर्ताओं ने तब इस न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें पुनर्वास अधिकारियों को उस भूमि का कब्जा देने की आवश्यकता थी जिसे उन्होंने 1958 में एक सार्वजनिक नीलामी में उनसे खरीदा था। इस याचिका को 23 मार्च, 1966 को एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था, और लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत वर्तमान अपील उस आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

2. **अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने अधिनियम की धारा 19 (2) पर भरोसा किया है, जो निम्नानुसार है: –**

> **19. (2) कोई व्यक्ति कहाँ है,**
>
> (1) **उपधारा (1) के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के कारण किसी भी विस्थापित संपत्ति के कब्जे का हकदार नहीं है, या**
>
> (2) **अन्यथा किसी भी विस्थापित संपत्ति या किसी अन्य अचल संपत्ति के अनधिकृत कब्जे में है जो मुआवजा पूल का हिस्सा है,**
>
> **जब उसे ऐसी संपत्ति से बेदखली के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर दिया गया है, तो वह प्रबंध अधिकारी या प्रबंध निगम द्वारा या ऐसे अधिकारी या निगम द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस संबंध में की जा रही मांग पर संपत्ति का कब्जा वापस कर देगा।**

इस उप-धारा की भाषा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह विस्थापित संपत्ति या किसी अन्य अचल संपत्ति से संबंधित है जो मुआवजा पूल का हिस्सा है। यदि संपत्ति खाली करने वाली संपत्ति नहीं रह गई है, या कब्जे के लिए कार्रवाई की तारीख को मुआवजा पूल का हिस्सा बन गई है, तो अधिनियम के तहत अधिकारियों के पास ऐसा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। संपत्ति खाली संपत्ति के रूप में समाप्त हो जाती है और जब इसे बेचा जाता है तो मुआवजा पूल से बाहर चला जाता है और बिक्री प्रमाण पत्र जारी करके

खरीदार को शीर्षक प्रदान किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वास प्राधिकारियों के पास उस संपत्ति के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार नहीं रह जाता है। अपीलकर्ता 1953 में उनके पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी करके उनके द्वारा खरीदी गई भूमि के मालिक बन गए हैं और इसलिए, उस भूमि के संबंध में किसी भी अन्य मालिक की तरह स्वामित्व के सभी अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। वे प्रतिवादी 3 और 4 को बेदखल करने के लिए अपने कानूनी उपायों का पालन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर जोर देने का कोई अधिकार नहीं है कि अधिनियम के तहत पुनर्वास अधिकारियों को उन्हें भूमि का कब्जा केवल इसलिए देना चाहिए क्योंकि यह उनके द्वारा सार्वजनिक नीलामी में बेची गई थी। इस प्रकार इस अपील में कोई दम नहीं है जिसे लागत के साथ खारिज कर दिया गया है। वकील की फीस 100 रुपये।

मेहर सिंह, *न्यायमूर्ति* -मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश सरोहा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा